न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 104/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00169**
दायर दिनांक :– 19.08.2020 **निर्णय दिनांक :– 24.04.2025**

1. प्रेमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. गुलाब कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरतसिंह उर्फ सुल्तानसिंह पुत्र फतेसिंह फौत के कायम मुकाम एवं उतराधिकारी
1/1 गुलाबकंवर पुत्री सुरतसिंह उर्फ सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 विशालकंवर पुत्री सुरतसिंह उर्फ सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवीसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. दीपसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. माधूसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. कमला कंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. हवा कंवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. जेठूसिंह पुत्र सुरतसिंह उर्फ सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि. अजासर तह. बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थीगण
2 श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 ता 7

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15–17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67–09 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 108–00 बीघा तथा ग्राम अजासर पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 44 रकबा 20–17 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 24–03 बीघा, खसरा नम्बर 40 रकबा 28–08 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 90–16 बीघा भूमि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट प्रार्थी संख्या 1 के पड़दादा व प्रार्थी संख्या 2 के दादा ससुर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता फतेसिंह पुत्र भारतसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15–17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67–09 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 108–00 बीघा के पूर्व खातेदार फतेसिंह पुत्र भारतसिंह फौत हुवे तो उक्त भूमि विरासत नामान्तरकरण संख्या 192 मौजा रोहिणा के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 सुरतसिंह व कल्याणसिंह, अलसीदाससिंह पुत्र फतेसिंह के नाम दर्ज हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। इस प्रकार उक्त पैतृक भूमि में प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7 का 1/9 हिस्सा बनता है और इसी अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के पौत्र एवं पुत्रवधु है जिनका उक्त भूमि पर पैतृक हक व हिस्सा बनता है और प्रार्थीगण का मौके पर उक्त पैतृक भूमि के 1/9 हिस्सा पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण ने पैतृक 1/9 हिस्सा पर काश्त भी कर रखी है लेकिन उक्त पैतृक भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण के अप्रार्थीग संख्या 1 के नाम ही दर्ज हुई और उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुवे अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15–17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67–09 बीघा, खसरा नम्बर 396 रकबा 108–00 बीघा भूमि में अपने 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बख्सीशनामा दिनांक 20.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1268 मौजा रोहिणा भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त पैतृक भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा ही था और अप्रार्थी संख्या 1/9 हिस्से तक ही बख्सीशनामा कर सकते थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से से अधिका भूमि का बख्सीशनामा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के पक्ष में तहरीर कर दिया जो शुरू से ही प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं बेअसर है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किये गये बख्सीशनामा को शून्य एवं बेअसर घोषित करवा कर एंव इसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 1268 को खारिज करवा कर ग्राम रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15–17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67–09 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 108–00 बीघा भूमि में अपने पैतृक 1/9 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जावे। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की और से करणीसिंह राठौड़ ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ग्राम ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15–17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67–09 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 108–00 बीघा तथा ग्राम अजासर पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 44 रकबा 20–17 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 15–16 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 24–03 बीघा, खसरा नम्बर 40 रकबा 28–08 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 90–16 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट फतेसिंह पुत्र भारतसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण भी फतेसिंह के वारिसान है वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इस का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जाना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी नही की जाती है तो प्रार्थीगण अपने पैतृक हिस्से से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 365 रकबा 15—17 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 67—09 बीघा व खसरा नम्बर 396 रकबा 108—00 बीघा तथा ग्राम अजासर पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 44 रकबा 20—17 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 15—16 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकबा 24—03 बीघा, खसरा नम्बर 40 रकबा 28—08 बीघा, खसरा नम्बर 53 रकबा 90—16 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पैतृक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)